कार्यालय कलेक्टर, जिला–बालोद (छ.ग.)

Email zp-balod.cg@nic.in Phone & Fax No-07749223917

//निविदा आमंत्रण सूचना//

क्रमांक/8686/जि.पं./ह.छ.ग.यो/2017–18 बालोद, दिनांक 13/7/17

"हमर छत्तीसगढ़ योजनांतर्गत" बालोद जिले के पंचायत, नगर पंचायत एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधियों को निर्धारित रोस्टर अनुसार विभिन्न चरणों में नया रायपुर का भ्रमण कराने के लिए बसों की आवश्यकता है। प्रत्येक चरण में दो दिवस निर्धारित है।

अतः उक्त भ्रमण कार्यक्रम हेतु निम्न विवरण अनुसार निविदा आमंत्रित किया जाता है:–

क्र.	वाहन का विवरण	वाहन का किराया (प्रति किलोमीटर)	हॉल्टिंग चार्ज (प्रतिदिवस)	कुल राशि
1	35–42 सीटर तक			
2	43–50 सीटर तक			
3	50 सीटर से उपर			

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में **दिनांक 20 जुलाई 2017 तक सायं 3.00 बजे कलेक्टर कार्यालय (कोषालय अधिकारी)** में बंद लिफाफे में निविदा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

निविदा की शर्तेः–

1. वाहन का पंजीयन 05 वर्ष से अधिक का न हो।
2. निविदा के साथ वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न होना आवश्यक है।
3. निविदा की शेष नियम एवं शर्ते जिले की वेबसाईट www.balod.gov.in पर देखी जा सकती है।

13/7/17

कलेक्टर
जिला–बालोद (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/8686/जि.पं./हमर छ.ग. यो./2017–18 बालोद दिनांक 13/7/17

प्रतिलिपिः–

1. सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, जिला बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. बालोद को सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाईट www.balod.gov.in में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बालोद (छ.ग.)

//नियम एवं शर्ते//

हमर छ.ग. योजना अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को नया रायपुर भ्रमण कराया जाना है। उक्त कार्यक्रम हेतु खुली निविदा के माध्यम से परिवहन हेतु बसों का किराया निर्धारण किया जाना है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरीय निकाय तथा सहकारिता विभाग के जनप्रतिनिधियों को उनके निवास ग्राम/नगर से रायपुर भ्रमण कराने हेतु प्रति चक 05 बसों की आवश्यकता होगी। पंजीकृत संस्था से बिना एसी बस तथा एसीयुक्त बस हेतु किराया निर्धारण के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते निम्नानुसार है:-

1. परिवहनकर्ता के कार्यक्रम अंतर्गत भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को उनके ग्राम पंचायत अथवा नगर मुख्यालय से परिवहन करना होगा एवं वापसी पर उसी स्थान पर छोड़ा जाना होगा। प्रतिनिधियों को कार्यक्रम अनुसार दो दिवस रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कराना होगा। प्रत्येक चक दो दिवस का होगा।
2. रायपुर में जनप्रतिनिधियों को 02 दिवसीय भ्रमण कराया जाना है। जिसमें नया रायपुर बाल्नीकल गार्डन, साइंस सेंटर, सिटी सेन्टर माल, विधानसभा, पुरखौती मुक्तांगन, भिलाई स्टील प्लान्ट, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऊर्जा पार्क, मंत्रालय, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आदिस्थलों का भ्रमण कराना होगा।
3. परिवहनकर्ता को डीजल/ड्रायवर स्वयं उपलब्ध करना होगा।
4. प्रत्येक बस में स्टेपनी एवं अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था अनिवार्यतः रखा जाना होगा।
5. परिवहनकर्ता को अच्छी कंडीशन की बस उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक चक से पहले बस का फिटनेस प्रमाणपत्र जीवित होना आवश्यक है। परिवहनकर्ता को रोड टैक्स, बीमा पालिसी तथा परिवहन कानून के तहत जो भी शर्ते अनिवार्य होती है, पालन करना होगा।
6. निविदा बंद लिफाफे के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा के दो हिस्से होंगे। पहला टेक्निकल बीड तथा दूसरा फाईनेंसियल बीड खोला जावेगा। टेक्निकल बीड के लिफाफे में अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, बस का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट रखना होगा। फाईनेंसियल बीड के लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र में केवल दर का ही उल्लेख करना होगा।
7. यदि निविदा समिति को ऐसा प्रतीत होता है कि निविदा के पश्चात बस का किराया प्रति किलोमीटर बाजार दर से अधिक है तो निविदा समिति निविदा को निरस्त कर सकती है अथवा संबंधित पक्षकार से समझौता कर तार्किक रूप से किराया निर्धारण कर सकती है।
8. यदि उक्त भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सफल निविदाकार निविदा के शर्तो के अनुरूप बस उपलब्ध नहीं कराता है तो निविदा समिति निविदा द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर ऐसे परिवहनकर्ता को जो निविदा की तकनीकी शर्तो का पालन करता हो, उसे कार्यादेश जारी किया जा सकता है।
9. सफल निविदाकार को जब वाहन की आवश्यकता होगी, लिखित एवं दूरभाष के माध्यम से एक सप्ताह पूर्व सूचना प्रदान की जावेगी। कार्यादेश में तिथि तथा स्थान का उल्लेख होगा। उक्त कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रातः 9:00 बजे तक रायपुर में उपस्थिति देनी है। अतः परिवहनकर्ता एक दिवस पूर्व रात्रि 9:00 बजे तक बस उपलब्ध नहीं कराता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद किसी दूसरे परिवहनकर्ता को आकस्मिक तौर पर कार्य करने का आदेश दे सकेगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता के अमानत राशि से राशि काटी जा सकती है।

10. उक्त भ्रमण कार्यक्रम के दौरान यदि बस खराब हो जाती है तो तत्काल बस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। यदि परिवहनकर्ता बस उपलब्ध नहीं कराता है तो अमानत राशि से इसकी कटौती की जा सकती है।
11. परिवहनकर्ता यह सुनिश्चित करें कि बस चालक पूर्णतया दक्ष हो तथा यात्रा के दौरान मदिरापान का सेवन न करे। शिकायत की स्थिति में कार्यादेश रद्द किया जा सकता है।
12. परिवहनकर्ता को आर.टी.ओ से आवश्यकतानुसार वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
13. सहमति पत्र 50/– के स्टाम्प पेपर में एवं सत्य निष्ठा संधि (Intergrity Pact) नोटरी से सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाना होगा।
14. परिवहनकर्ता को भ्रमण कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार अग्रिम का भुगतान नही किया जायेगा।
15. परिवहनकर्ता को यात्रा पश्चात देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
16. भ्रमण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली बसों का माइलोमीटर चालू स्थिति में होना अनिवार्य है तथा भुगतान हेतु प्रस्तुत देयकों में जनप्रतिनिधियों को जिस स्थान से भ्रमण हेतु भेजा गया एवं भ्रमण पश्चात् जिस स्थान पर छोड़ा गया है। उसका माइलोमीटर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। उतने ही दूरी का निर्धारित दर अनुसार भुगतान किया जायेगा।
17. भ्रमण पश्चात् प्रस्तुत देयकों में संलग्न लागबुक में भ्रमण पर गये प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. यह निविदा आदेश की गयी तिथि से 30 जून 2018 तक प्रभावशील रहेगी।
19. प्रत्येक परिवहनकर्ता को 50000.00 (पचास हजार रूपये) की अमानत राशि ड्राफट/बैंकर्स चेक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद के नाम से देय होगा। जो निविदाकार निविदा में सफल नहीं होते है, उनकी अमानत की राशि 15 दिवस के भीतर वापस कर दी जाएगी।
20. निविदा प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर (कोषालय अधिकारी) में जमा की जावेगी। निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20/07/2017 शाम 3:00 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। दिनांक 20/07/2017 को सायं 4.00 बजे निविदा समिति के समक्ष कार्यालय जिला पंचायत के सभाकक्ष में निविदा खोली जावेगी। चाहे तो निविदाकार निविदा समिति के समक्ष उपस्थित हो सकते है। उनकी अनुपस्थिति के बिना भी निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की जा सकती है।
21. निविदा को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद का होगा।

निविदा के अनुसार शासन को होने वाली वित्तीय हानि की राशि की पूर्ति करने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा। इस बारे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद का निर्णय अंतिम होगा।

परिवहनकर्ता के उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन एवं किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम बार राशि रू. 5000.00 दूसरें बार रू. 10000.00 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं पुनः शिकायत प्राप्त होने पर आदेश अस्वीकृत कर दी जायेगी।

कलेक्टर
जिला–बालोद (छ.ग.)